(5)

प्रकरण संख्या : 44/2022
गर्भित वगै. बनाम नीरज वगै.
निर्णय दिनांक : 26.03.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	44/2022
दायर दिनांक	:	15.11.2022
निर्णय दिनांक	:	26.03.2025

1. गर्भित उर्फ गारवीन पुत्र नीरज मीना नाबालिग जरिए संरक्षिका माता नर्बदा मीना पत्नी नीरज मीना जाति मीना, निवासी रेल्वे फाटक के पास चांदा मीना कॉलोनी दौसा हाल निवासी लालसोट रोड अस्पताल के सामने दौसा तहसील दौसा जिला दौसा
2. प्रियांशी मीना पुत्री नीरज मीना नाबालिग जरिए संरक्षिका माता नर्बदा मीना पत्नी नीरज मीना जाति मीना, निवासी रेल्वे फाटक के पास चांदा मीना कॉलोनी दौसा हाल निवासी लालसोट रोड अस्पताल के सामने दौसा तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. नीरज पुत्र दुर्गालाल जाति मीना, निवासी रेल्वे फाटक के पास चांदा मीना कॉलोनी दौसा जिला दौसा
2. रितेश पुत्र दुर्गालाल जाति मीना, निवासी रेल्वे फाटक के पास चांदा मीना कॉलोनी दौसा जिला दौसा
3. पिष्ता देवी पत्नी दुर्गालाल जाति मीना, निवासी रेल्वे फाटक के पास चांदा मीना कॉलोनी दौसा जिला दौसा
4. पूरणचन्द पुत्र गुल्लाराम जाति मीना, निवासी रेल्वे फाटक के पास चांदा मीना कॉलोनी दौसा जिला दौसा
5. प्रशान्त पुत्र लोकेश नाबालिग जरिये संरक्षिका माता रेखा देवी जाति मीना, निवासी रेल्वे फाटक के पास चांदा मीना कॉलोनी दौसा जिला दौसा
6. भूमिका पुत्री लोकेश नाबालिग जरिये संरक्षिका माता रेखा देवी जाति मीना, निवासी रेल्वे फाटक के पास चांदा मीना कॉलोनी दौसा जिला दौसा
7. यशु पुत्र लोकेश नाबालिग जरिये संरक्षिका माता रेखा देवी जाति मीना, निवासी रेल्वे फाटक के पास चांदा मीना कॉलोनी दौसा जिला दौसा
8. रेखा देवी पत्नी लोकेश जाति मीना, निवासी रेल्वे फाटक के पास चांदा मीना कॉलोनी दौसा जिला दौसा
9. रमेश पुत्र गुल्लाराम जाति मीना, निवासी रेल्वे फाटक के पास चांदा मीना कॉलोनी दौसा जिला दौसा
10. रामकरण पुत्र गुल्लाराम जाति मीना, निवासी रेल्वे फाटक के पास चांदा मीना कॉलोनी दौसा जिला दौसा
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
12. उपपंजीयक दौसा जिला दौसा

अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:40:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र [illegible]

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज०)

—: निर्णय :—

(5)

प्रकरण संख्या : 44/2022
गर्भित वगै. बनाम नीरज वगै.
निर्णय दिनांक : 26.03.2025

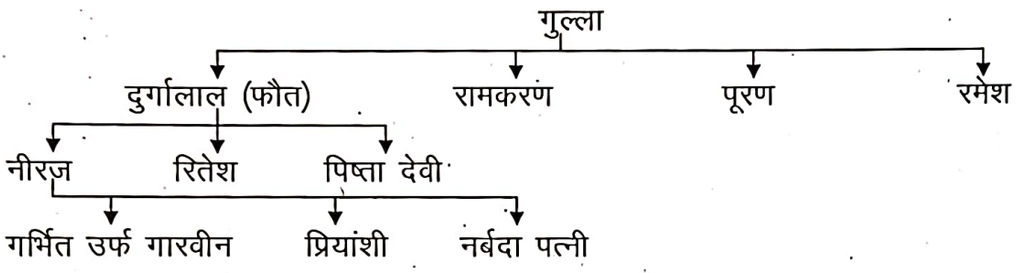

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 आपस में पिता पुत्र हैं। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अप्रार्थी संख्या 1 के भाई व अप्रार्थी संख्या 4 माता हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 10 वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार होने से पक्षकार बनाये गये हैं जिनसे कोई अनुतोष वांछित नहीं है। यह वाद अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा 1/16 के संबंध में ही प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :–

ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा में स्थित खाता संख्या 284 नया व पुराना खाता संख्या 133 की भूमि खसरा नम्बर 1372/4072, 375, 868, 875, 905, 907 कुल किता 6 कुल रकबा 2.08 है. स्थित है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 हिस्सा 1/16 का खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण का पिता है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है जो कि पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वज गुल्ला वल्द श्योनाथ की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड थी। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के बीच काफी समय से मतभेद चलते आ रहे हैं। प्रार्थीगण अपना जीवन यापन अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त वर्णित भूमि पर काश्त करके करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है जो कि अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीगण के पूर्वज दुर्गालाल से विरासत में प्राप्त हुयी है, जिसमें प्रार्थीगण का भी एक हिस्सा व नोशनल शेयर है। अप्रार्थी संख्या 1 शराबी किस्म का व्यक्ति होने से कई असामाजिक तत्व अप्रार्थी संख्या 1 को शराब पिलाकर उक्त वर्णित आराजी को नाजायज तरीके से हडपने पर आमादा हैं। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम आराजी वादगस्त के खातेदारी अंकन राजस्व अभिलेख में होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 के मन में लालच पैदा हो गया है। अप्रार्थी संख्या 1 आराजी वादग्रस्त को अनुचित रूप से हस्तान्तरित कर अनधिकृत लाभ उठाने को प्रयत्नशील है। जिसके कारण प्रार्थीगण के अधिकारों का हनन होने व अपूरणीय क्षति उत्पन्न हो गयी है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित फरमावें कि वे स्वयं अथवा अपने रिश्तेदारों, परिजनों, ऐजेन्टों, नौकरों, सहयोगियों, साथियों आदि के द्वारा उक्त वर्णित आराजी खाता संख्या 284 नया व पुराना खाता संख्या 133 की भूमि खसरा नम्बर 1372/4072, 375, 868, 875, 905, 907 कुल किता 6 कुल रकबा 2.08 है. वाके ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा के किसी भी भू भाग को अप्रार्थी संख्या 1 उक्त नुमाईशी खातेदारी इन्द्राज के आधार पर दीगर व्यक्तियों को रहन बय हस्तान्तरण करने से उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से व प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से अस्थायी रूप से प्रतिबन्धित रहे। अप्रार्थी संख्या 12 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमावें कि वे उक्त आराजी [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले किसी भी रहन बय हस्तान्तरण [illegible] पंजीयन नहीं करे व अप्रार्थी संख्या 13 राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये [illegible]।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:40:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

(6)

प्रकरण संख्या : 44/2022
गर्मित वगै. बनाम नीरज वगै.
निर्णय दिनांक : 26.03.2025

प्रकरण में बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार है :–

1. **प्रथम दृष्ट्या मामला :** पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी आधार संवत् 2072–2075 (वर्ष 2019 से स्थायी) का अवलोकन करने पर ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 1372/4072, 375, 868, 875, 905, 907 कुल किता 6 कुल रकबा 2.08 है॰ हिस्सा 1/16 की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होने की पुष्टि होती है। प्रकरण से संबंधित मूल दावा पत्रावली में वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज आराजी को पैतृक आराजी होना बताते हुए उद्‌घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है, जो कि वादीगण द्वारा दावे में प्रस्तुत तथ्यों को साक्ष्यों से साबित किये जाने के पश्चात् ही दिया जाना सम्भव है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित न होकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का सन्तुलन :** प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण से संबंधित मूल दावा पत्रावली में वादीगण द्वारा अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज आराजी को पैतृक आराजी होना बताते हुए उद्‌घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। प्रश्नगत आराजी हिस्सा 1/16 की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर अपने हिस्से की भूमि को खुर्द–बुर्द, बेचान, हस्तान्तरण करने की संभावना से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता है। यदि वादी अपने वादपत्र को साबित करने में सफल रहता है, तो प्रश्नगत आराजी के खुर्द–बुर्द, बेचान, हस्तान्तरण होने की स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 की बजाय प्रार्थीगण को अधिक असुविधा का सामना करना होगा। हालांकि प्रश्नगत आराजी हिस्सा 1/16 की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। अतः सुविधा के सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 दोनों के पक्ष में समान रूप से साबित होता है।

3. **अपूर्णीय क्षति :** सुविधा के सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 दोनों के पक्ष में समान रूप से साबित होने के फलस्वरूप अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 दोनों के पक्ष में समान रूप से साबित होता है।

अतः प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में साबित होने एवं सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 दोनों के पक्ष में समान रूप से साबित होने के फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 1372/4072, 375, 868, 875, 905, 907 कुल किता 6 कुल रकबा 2.08 है॰ में अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा 1/16 के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 को प्रकरण से संबंधित दावा पत्रावली के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:40:32 IST
Reason: SelfAttested

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा